यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी भीमताल नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालयजिला शिक्षा अधिकारी भीमताल नैनीताल के माह 12/2014 से 11 /2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07-12-2018 से 12-08-2018 तक श्री टी0 एस0 नेगी, लेखापरीक्षा अधिकारी/ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामप्रीत सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2014 से 22.12.2014 तक श्री राकेश कुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी जिसमे माह 12/2008 से 11/2014 तक की लेखा परीक्षा की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा मुख्यतः जनपद के हाईस्कूल एवं इंटर कालेजो मे शैक्षिक गतिविधियो का नियोजन एवं अनुश्रवण करना

3. इकाई द्वारा जिला योजना द्वारा प्रदत्त धनराशि, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि एवं कोषागार द्वारा प्रदत्त धनराशि से शैक्षिक गतिविधियो का नियोजन एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		समर्पण राशि	बचत (-) ₹
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	आवंटन₹	व्यय₹		
2015-16	----	-----	151.56	151.35	1207.52	1202.64	5.09	
2016-17	-----	-----	169.51	151.74	672.00	661.38	28.39	
2017-18	-----	-----	178.93	175.48	700.19	698.89	4.75	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य(+) ₹	बचत(-) ₹
2015-16				
2016-17		शून्य		
2017-18				

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई इकाई को जिला योजना, राज्य सरकार एवं कोषागार मद से धनराशि प्राप्त होती है। इकाई श्रेणी स के अंतर्गत आती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

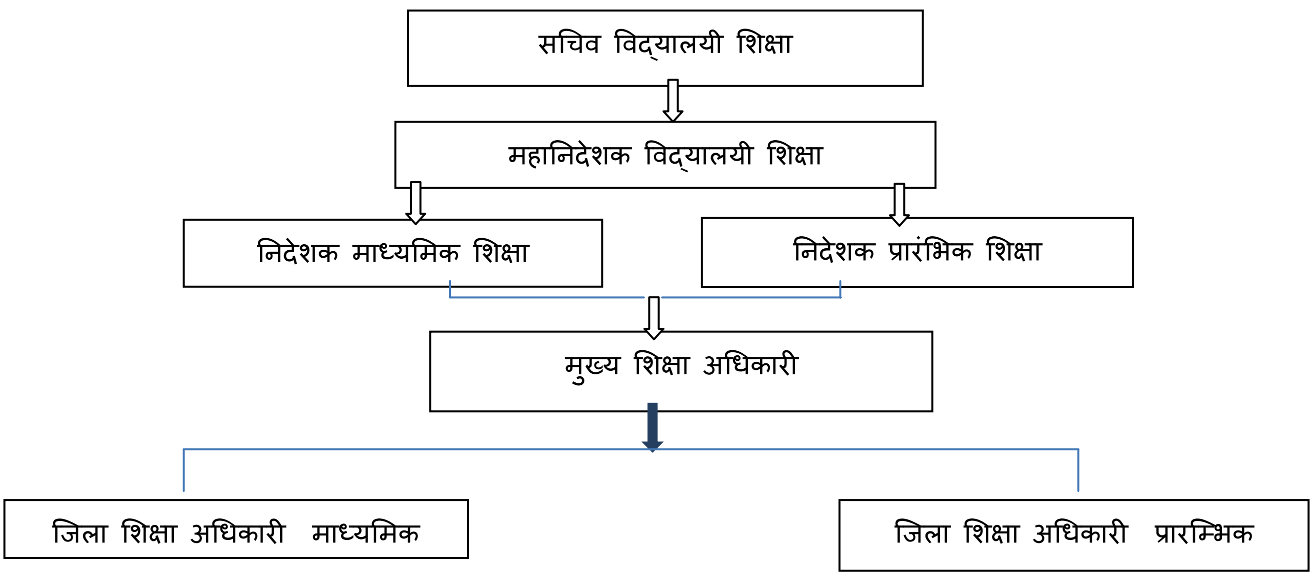

iv. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में जनपद के हाईस्कूल एवं इंटर कालेजो मे शैक्षिक गतिविधियो का नियोजन एवं अनुश्रवण करने का कार्य क्षेत्र आता है। लेनदेन की लेखापरीक्षा संपादित की गयी। को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा भीमताल नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह03/2015एवं 06/2016को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

v. छात्रवृत्ति योजना, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, राजीव गांधी आवासीय अभिनव विद्यालय बेतालघाट का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय खनस्यूँ के छात्रावास निर्माण के पूर्ण होने (2016-17) के बावजूद हस्तान्तरित न किया जाना और रु. 51.43 लाख कार्यदायी संस्था के पास अवशेष पड़ा रहना।

शासनादेश सं. 754/XXIV-3/14/02(24)13 दिनांक 28 फरवरी 2015 द्वारा इकाई को उपरोक्त निर्माण कार्य (अनु. जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं बी.पी.एल. वर्ग की ड्रापआउट, बालिकाओं की आवासीय शिक्षा व्यवस्था) हेतु रु. 241.14 लाख स्वीकृत थे। निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था, सिंचाई विभाग, जामरानी बांध निर्माण खण्ड तृतीय, दमुआढूंग, काठगोदाम, से एम.ओ.यू. किया गया जिसके अनुसार उक्त कार्य दिनांक 14.05.2013 से शुरू कर दिनांक 13.11.2014 को पूर्ण होना था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये-

- कार्यदायी संस्था के पास निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात रु. 51.41 लाख अवशेष रहना (2016-17)
- छात्रावास निर्माण के पश्चात जल संयोजन हेतु जल संस्थान नैनीताल द्वारा कार्यदायी संस्था के अनुरोध पर नये स्रोत से पाइप लाइन बिछाने हेतु अवशेष धनराशि/बचत से रु. 6.259 लाख का प्राक्कलन प्रेषित करना।
- शासन द्वारा कार्यदायी संस्था के पास अवशेष धनराशि से जल संयोजन की अनुमति प्रदान किये जाने की अनुमति चाही गयी जो कि अभी तक नहीं मिल पायी है।
- जल संयोजन के अभाव में निर्मित छात्रावास का हस्तान्तरण न हो पाना।

  उपरोक्त बिन्दुओं की ओर इंगित करने पर इकाई द्वारा स्वीकार किया गया कि पेयजल लाइन वर्तमान तक नहीं बिछायी गयी है तथा हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं हुई है। (12/2018)

  अतः निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद हस्तान्तरण न होने और रु. 51.41 लाख कार्यदायी संस्था के पास अवशेष पड़े रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग –दो (ब)</u>

प्रस्तर -2- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 1.22 लाख वेतन एवं भत्तो पर अधिक भुगतान

शासनादेश 290/xxxvii/7/50/2016 दिनाक 28/12/2016 के अनुसार 7वें वेतन आयोग मे कार्मिको की वेतन निर्धारण 31/12/2015 के स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिये एवं पैरा 11(3) के अनुसार जिन कार्मिको की वेतन वृद्धि 01 जनवरी से 30 जून है की बीच की अवधि मे नियुक्ति या प्रोन्नत या सुनिशिचत कैरियर प्रोन्नत योजना या समयमान/चयन वेतनमन के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबध मे वेतन वृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कार्मिक जिनकी वेतन वृद्धि 01 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच वेतन वृद्धि है के संबंध मे वेतन वृद्धि 01 जुलाई को दी जायेगी।

(1) कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी नैनीताल, के अधीन श्रीमति हेमा कनयाल (प्र.अधिकारी) की सेवा पुस्तिका मे (date of increment july थी) दिनांक 31/12/2015 को वेतन(12780+4600=17380*2.57=44900)थी। श्रीमति हेमा की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर यह पाया गया की इन की वेतन मे एक अतरिक्त वेतन वृद्धि देते (13310+4600=17910*2.57) रु46200/ पर 1/1/2016 को वेतन निर्धारण किया गया है। आगे जाँच मे यह भी देखा गया माह जुलाई/2016 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि रु 47600 पुनः दिया गया है। जो की त्रुटिपूर्ण है,जिस के कारण श्रीमति हेमा को माह 12/2015 से माह 11/2018 तक कुल रु.56082. वेतन एवं भत्तों पर त्रुटिपूर्ण भुगतान किया गया है,। (विस्तृत विवरण **<u>संलग्रक-1</u>** में दिया गया है।

. **(2)** शासन के आदेश सं.371/xxxvii7/27/2013 दिनांक 16/1/2013 के अनुसार लिपिकीय सवग के ग्रेड वेतन मे केवल परिवर्तन किया जाना था ।ग्रेड वेतन -2400 परिवर्तन कर ग्रेड वेतन -2800 किया जाना था। श्री सतेंद्रर सुरी देव बेरी (वरि.सहा) (date of increment July थी) माह जनवरी 2013 वेतन रु (8340+2400=10740) थी। सेवा पुस्तिका की नमूना जाँच करने पर पह पाया गया की ग्रेड वेतन मे परिवर्तन होने पर एक वेतन वृद्धि देते हुवे दिनांक 1/1/2013 को वेतन मे एक वेतन वृद्धि देते हुवे रु (8670+2800=11470) पर वेतन निर्धारण किया गया जब की केवल ग्रेड वेतन मे ही बदलावो किया जाना चाहिये था। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण होने के कारण माह 1 /2013 से माह 11/2018 तक कुल रु.64944/. वेतन एवं भत्तों पर त्रुटिपूर्ण भुगतान किया गया है,। उक्त दोनों प्रकरण के रु 1,22026/ वेतन एवं भत्तों पर अधिक भुगतान किया गया है,। (विस्तृत विवरण **<u>संलग्नक–1,2</u>** में दिया गया है

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया कि शासन के सं./290/दिनांक 28/12/2016 एवं सं. 371/दिनांक 16/01/2013 के अनुसार वेतन निर्धारण किया गया है एवं जाँचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी। अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों द्वारा जांच कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- छात्रवृत्ति की धनराशि का बचत खाते में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज रु. 2.06 लाख को शासकीय खाते में वापस न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं. 875(i)/वित्त अनुभाग-3/2003 दिनांक 30 अप्रैल 2003 के अनुसार स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तब इस प्रकारअर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक- '0049- ब्याज प्राप्तियो, 07- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियों, 800- अन्य प्राप्तियों, 12- अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों' में जमा किया जाये।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक नैनीताल के छात्रवृत्ति से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा (Scrutiny) में पाया गया कि इकाई द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियों (राज्य योग्यता छात्रवृत्ति, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना (साइकिल योजना), नन्दा गौरा योजना तथा विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, भारत सरकार द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता हेतु दिये जाने वाले 'इन्सपायर अवार्ड' की प्राप्त धनराशि बचत खातों में जमा थी। जमा धनराशि पर मिलने वाले ब्याज का विवरण निम्नवत था-

(A) <u>राज्य योग्यता बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना व नंदा गौरा योजना छात्रवृत्ति धनराशि पर ब्याज</u>

क्र.सं.	वर्ष	खाता सं./बैक का नाम	ब्याज (रु. में)
1.	2015-16	SBI A/c No. 10860838765	₹ 4434/-
2.	2016-17	SBI A/c No. 10860838765	₹ 4544/-
3.	2017-18	SBI A/c No. 10860838765	₹ 122294/-
4.	2018-19 (25.9.18)	SBI A/c No. 10860838765	₹ 61783/-
कुल योग			₹ 193055/-

(B) इन्सपायर अवार्ड छात्रावत्ति धनराशि पर ब्याज

क्र.सं.	वर्ष	खाता सं./बैक का नाम	ब्याज (रु. में)
1.	2016-17	Bank of Baroda A/c No. 98430100000805	₹ 5598/-
2.	2017-18	Bank of Baroda A/c No. 98430100000805	₹ 5568/-
3.	2018-19 (11.7.18 तक)	Bank of Baroda A/c No. 98430100000805	₹ 2271/-
कुल योग			₹ 13436/-

इस प्रकार विविध छात्रवृत्तियों की जमा धनराशि पर कुल ब्याज प्राप्तियों रु. 206491/- थी जिसे शासकीय खाते में वापस नहीं किया गया था। (12/2018)

इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया गया कि उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिये जाने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश में इस प्रकार अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में लेखाशीर्ष – 0049- ब्याज प्राप्तियों में जमा किए जाने के स्पष्ट निर्देश थे।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
134/2008-09	**1,2, 3**	1,2	1
135/2014-15	**-----**	1,2,3	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
विगत प्रस्तरों के संबंध मे कार्यवाही लंबित थी। उच्चाधिकारियों से संतुति उपरांत प्रेषित किया जायेगा ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा भीमताल नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

2. **शून्य**

3. **सतत् अनियमितताएः**

   शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	अवधि
1.	श्री रघुनाथ लाल आर्या	22.08.2014 से 23.05.2017
2.	श्री कमलेश कुमार गुप्ता	23.05.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भीमताल रामनगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.